न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/150/2021 रजू दिनांकः 23.09.2021 रजि0 न0 2021/296

अपीलार्थीः—

श्री प्रभात कुमार मिश्रा, निवासी—8/ 157, विद्याधर नगर, जयपुर—302039 जिला जयपुर (राज0)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 12.10.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2020 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.10.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1836 दिनांक 27.09.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./अन्तरण/2021/1591—92 दिनांक 04.12.2020 के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेय, जिला परिषद, अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित करते हुए प्रति से अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। (एनेक्जर—बी) एवं पृष्ठांकन कर अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर द्वारा प्रकरण में सूचना उपलब्ध नही कराये जाने पर उनके विभागीय जयेष्ठ पंक्ति के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी जिला कलक्टर महोदय, अलवर को अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलार्थी प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा पुनः अपील प्रकरण में संबंधित कार्यालय को छोड़ इस कार्यालय को प्रत्यर्थी बनाया गया है, जो उचित नही है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। किन्तु लोकहित में मुख्य कार्यकारी अधिकरी जिला परिषद, अलवर को अपील संबंधित समस्त दस्तवेजात की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि RTI आवेदन दिनांक 16.08.2021 में चाहि गई वांछित सूचना देयता की श्रैणी में आती हो तो नियमानुसार निशुःल्क ही अधिप्रमाणित कर पंजीकृत पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को प्रेषित करें।
7. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
जिला कलक्टर, अलवर